संचालनालय चिकित्सा शिक्षा

पुराना नर्सेस हॉस्टल, डी०के०एस० भवन परिसर रायपुर, छत्तीसगढ़

फोन नं. 0771–2972977, ई–मेलः cgdme.counseling@gmail.com

दिनांक 7/5/2019

4766

//सूचना//

द्वितीय काउंसिलिंग डेण्टल पी.जी. (MDS) 2019

1. आज दिनांक **07 मई 2019 समय 02 PM (14 Hrs.) से दिनांक 09 मई 2019 समय 11:59 PM (23:59 Hrs.) तक** द्वितीय काउंसिलिंग में सम्मिलित होने के लिए पूर्व से ऑनलाईन **(Online)** आवेदन किये हुए आवेदक ही वांछित पंजीयन शुल्क शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय हेतु, अनारक्षित रू. 25,000/– (पच्चीस हजार रूपये) एवं आरक्षित रू. 12,500/– (बारह हजार पांच सौ रूपये) जमा कर, तथा राशि 2,00,000/–(दो लाख रूपये) जमा करने पर निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालय की स्नातकोत्तर एवं शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय की स्नातकोत्तर सीट चयन हेतु उपलब्ध होगी, तथा प्रथम काउंसिलिंग में प्रवेशित छात्र अपग्रेडेशन का लाभ द्वितीय कांउसिलिंग में प्राप्त कर सकता है।

नोट :– प्रथम कॉउंसिलिंग में दिये गये संस्था, विषय चयन में दिये गये विकल्प (Option) शून्य हो चुके है। अतः विकल्प भरें।

2. द्वितीय कॉउंसिलिंग में निम्नानुसार पूर्व पंजीकृत आवेदक पात्र होंगे :–
   I. जिन्होने प्रथम कॉउंसिलिंग में आबंटन के बाद स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है। वे **Upgradation** का लाभ ले सकते हैं।
   II. ऐसे आवेदक जो पूर्व से पंजीकृत है और उन्हें प्रथम कॉउसिलिंग में कोई आबंटन प्राप्त नहीं हुआ।

नोट :– प्रथम कॉउंसिलिंग में आबंटित आवेदक, किन्तु जिन्होंने स्क्रूटनी कर, प्रवेश नहीं लिया है या स्क्रूटनी में Unfit रहे है तो प्रवेश नहीं लिया, वे द्वितीय कॉउसिलिंग में पात्र नहीं होंगे।

3. किसी भी नियम की व्याख्या के लिए छत्तीसगढ़ दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम, 2017 का अवलोकन करें।

मॉपअप राउण्ड सूचना

1. मॉप–आप राउण्ड में अपात्र होंगे :–
   (i) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम एवं द्वितीय काउंसिलिंग आबंटन उपरान्त प्रवेश ले लिया है।

2. उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 01 में अपात्र अभ्यर्थी को छोड़कर, अन्य सभी पूर्व ऑनलाईन आवेदित अभ्यर्थी पंजीयन शुल्क जमा कर पात्र होंगे।

क्रमशः...2.....

Scanned by CamScanner

3. सभी मॉप–अप रॉउण्ड में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को द्वितीय काउंसिलिंग की भांति पंजीयन शुल्क अनारक्षित रू. 25,000/– (पच्चीस हजार रूपये) एवं आरक्षित रू. 12,500/– (बारह हजार पांच सौ रूपये) शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय हेतु तथा राशि 2,00,000/– (दो लाख रूपये) निजी एवं शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय हेतु, जमा किया जाना आवश्यक होगा, जिसके पश्चात् ही वे मॉप–अप रॉउण्ड में पात्र होंगे।

यद्यपि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने द्वितीय काउंसिलिंग में पंजीयन शुल्क जमा की है, किन्तु उन्हें किसी प्रकार का आबंटन प्राप्त नहीं हुआ है वे स्वतः ही मॉप–आप रॉउण्ड के लिए पात्र है। अर्थात पंजीयन शुल्क पुनः जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

किन्तु ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने द्वितीय कॉउंसिलिंग में पंजीयन शुल्क जमा की थी तथा उन्हें आबंटन प्राप्त हुआ परन्तु उन्होंने प्रवेश नहीं लिया, उनकी जमा की हुई, पंजीयन शुल्क राजसात (forfeited) हो गई है। **अतः उन्हें पुनः पंजीयन शुल्क जमा करने की आवश्यकता होंगी। तत्पश्चात् ही मॉप–अप रॉउण्ड में पात्र होंगे।**

4. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय–सारिणी अनुसार प्रवेश की अंतिम तिथि 18 मई, 2019 है। अतः मॉप–अप रॉउण्ड में पंजीयन शुल्क पटाने हेतु कम अवधि मिलने की संभावना है तथा मॉप–अप रॉउण्ड हेतु पंजीयन शुल्क जमा करने की संभावित तिथि दिनांक 10 या 11 मई 2019 होगी। अतः वेबसाईट नियमित देखें।

5. कॉउसिलिंग प्रक्रियॉ की अन्य जानकारी हेतु नियमित वेबसाईट www.cgdme.co.in का अवलोकन करें।

संचालक चिकित्सा शिक्षा
छत्तीसगढ़

Scanned by CamScanner